

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-23/2022-4022

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- 132KV D/C चतरा से हंटरगज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अन्तर्गत 23.3355 हे० कुल-53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से प्राप्त पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/50112/2020(PT) दिनांक-04.09.2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यशोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक 1114

दिनांक 07/11/2023

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/वरीय प्रबंधक M/s JUSNL, ट्रांसमिशन प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन ऑन-लाईन अपलोड करते हुये शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


07/11/23
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


7.11.23

/2023



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हर्मु चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/TRANS/50112/2020(Pt)/1392

दिनांक: 04.09.2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.)
वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार,
वन भवन, डोरंडा, राँची।

विषय :- 132 KV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 23.3355 हे० कुल 53.2129 हे० वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

The forest diversion proposal pertaining to the subject above was discussed in REC'S meeting dated 31.07.2023. It was found that the proposal involved violation of Forest (Conservation) Act. 1980 as user agency erected few transmission towers in forest land without prior approval of Central Government. Therefore, the proposal was sent to Ministry's headquarter (HQ) at New Delhi for further consideration of the mater.

The HQ has desired:-

- The complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done.
- Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.

Therefore, the above information and copy of all the correspondence done by SFD with user agency in relation to violation may be submitted to this office for getting the requisite done.

For your kind consideration and prompt necessary action please.

आपका विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar
Pathak (शशि शंकर)

Date: 04-09-2023 18:09:02

Reason: Approved

6154
31/9/2023